न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

मोटर वाहन दुर्घटनाओं के शिकार व्यक्तियों को प्रतीकार

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

भूमिका

भारत में अन्य देशों की अपेक्षा सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या कहीं अधिक है। शायद ही ऐसा कोई दिन हो, जब समाचार पत्रों में देश के किसी न किसी भाग में भीषण दुर्घटना के परिणामसरूप कई व्यक्तियों के मरने एवं गंभीर रूप से घायल होने के समाचार न प्रकाशित होते हों। स्थिति यह है इस देश में प्रत्येक 10 मिनट में मोटर दुर्घटना के कारण किसी एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। मोटर दुर्घटना में केवल दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए आपूरणीय क्षति होती है। वास्तव में पूरे समाज के हित में पीड़ित परिवारों को हुई क्षति के लिए शीघ्र और उपयुक्त प्रतिकर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

मोटर दुर्घटना के कारणः—

मोटर दुर्घटनाओं का मुख्य कारण संबन्धित व्यक्तियों और विशेषकर वाहन चालक की गलती तथा असावधानी होती है। वाहन चालक के पास अपेक्षित अनुभव व योग्यता का न होना, उसका सतर्क और सावधान न होना, नशे या नींद में होना या बिना विश्राम किए लगातार अधिक समय तक वाहन चलाना आदि मोटर दुर्घटना के महत्वपूर्ण कारण है। निर्धारित गति से कहीं अधिक तेजी से तथा लापरवाही से वाहन चलाना तथा निर्धारित संख्या से अधिक सवारियाँ बैठाना या भार ले जाना भी दुर्घटना के कारण हो सकते हैं। कभी—कभी पीड़ित व्यक्ति की स्वयं की लापरवाही, वाहनों में तकनीकी खराबी, सड़कों की खराब दशा, यातायात संकेतों का अभाव आदि भी दुर्घटना के कारण बन जाते हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में मोटर दुर्घटना की रोकथाम के उदेश्य से कई उपयोगी प्रावधान किये गए हैं और यदि इन प्रावधानों का अनुपालन सही ढंग से किया जाए तो अवश्य ही काफी हद तक मोटर दुर्घटनाओं की संख्या में कमी लायी जा सकती है।

मोटर दुर्घटना क्या है?

कोई भी वाहन जो किसी मशीनी शक्ति से चलाया जाए और उसे सड़क पर चलाए जाने के योग्य बना लिया जाए, मोटर वाहन कहलाता है। इस प्रकार बस, रोड रोलर, कार, ट्रैक्टर, एक्सकावेटर, मोटरसाइकिल, मोपेड आदि मोटर वाहन की श्रेणी में आते हैं और इन वाहनों द्वारा सड़क पर चलते हुए अथवा खड़े किसी व्यक्ति या वस्तु तथा अन्य किसी वाहन में सीधे या अन्य किसी प्रकार से टक्कर हो जाती है तो उसे मोटर दुर्घटना कहा जाता है।

जब कभी कोई मोटर दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए?

- सबसे पहले पीड़ित को जल्द से जल्द डॉक्टरी सहायता यानी चिकित्सा देनी चाहिए। जिस वाहन के द्वारा दुर्घटना हुई हो उसके चालक को चाहिए कि वह घायल व्यक्ति को चिकित्सक के पास या नजदीक के अस्पताल में अवश्य ले जाए। घायल व्यक्ति के हस्पताल पहुंचने पर उसका तुरंत उपचार होना चाहिए। कागजी कारवाई बाद में भी कर सकते हैं। यह कानूनन जरूरी है।
- जितनी जल्दी हो सके थाने में शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। इसकी नकल अवश्य लें। अगर पीड़ित व्यक्ति शिकायत दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है तो कोई अन्य व्यक्ति उसकी ओर से ऐसा कर सकता है। चालक को भी दुर्घटना की सूचना पुलिस को अवश्य देनी चाहिए।
- चालक ने दंडनीय अपराध किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के दर्ज हो जाने के बाद चालक के खिलाफ फौजदारी मुकदमा भी चलाया जाएगा।
- पीड़ित व्यक्ति को चालक द्वारा कोई हानि या अन्य क्षति भी पहुंच सकती है। इस हानि या क्षति के लिए पीड़ित व्यक्ति पैसे के रूप में मुआवजा पाने का अधिकारी होता है। इसके लिए पीड़ित को मोटर दुर्घटनाओं के लिए स्थापित की गई विशेष अदालत में दावा करना होगा। इस विशेष अदालत को मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल (MACT) कहते हैं।

भारत में मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष शिकायत दायर करने की समय सीमा क्या है?

किसी भी दुर्घटना के संबंध में ट्रिब्यूनल के समक्ष सड़क दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावों को दायर करने के लिए कोई समय सीमा नहीं है।

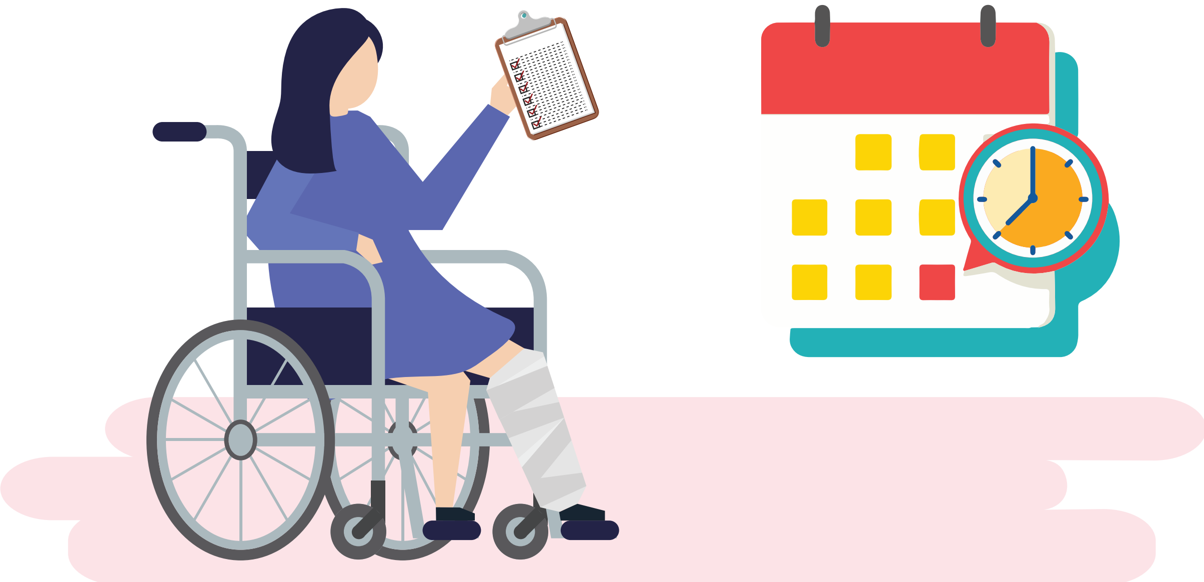

मोटर मोटर दुर्घटना मामलों में क्षतिपूर्ति का दावा कौन कर सकता है?

धारा 165 (मुआवजे का दावा) किया जा सकता है–

- उस व्यक्ति द्वारा, जिो दुर्घटना द्वारा घायल हुआ है।
- संपत्ति के मालिक द्वारा जहां मोटर दुर्घटना से मौत हुई है।
- मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा।
- किसी भी एजेंट द्वारा जब विधिवत रूप से घायल व्यक्ति या मृतक के सभी या किसी कानूनी प्रतिनिधि द्वारा उस एजेंट को अधिकृत किया गया हो।

दुर्घटना सूचना रिपोर्ट क्या है?

- किसी भी वाहन से दुर्घटना होने की सूचना मिलने पर संबंधित थाना प्रभारी प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज किए जाने के 30 दिन के अंदर दुर्घटना सूचना रिपोर्ट मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में थाना प्रभारी द्वारा जमा की जाती है।
- इन दस्तावेजों में प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यापित प्रतिलिपि, दुर्घटनास्थल के नक्शे की सत्यापित प्रतिलिपि व दुर्घटनास्थल के फोटो, संबंधित वाहन का ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस पॉलिसी, पोस्टमार्टम (रिपोर्ट मृत्यु की स्थिति में) व घायल होने का प्रमाणपत्र शामिल हैं।
- इसी प्रकार घायल का नाम, पता या मृत्यु होने की स्थिति में मृतक के आश्रित परिवार के सदस्यों के नाम पते आदि सूचना रिपोर्ट में दी जाती है।
- इसके बाद दुर्घटना सूचना रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों की प्रतियां संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को भी पुलिस द्वारा दी जाती है ताकि संबंधित इंश्योरेंस कंपनी क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकें।
- मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल दुर्घटना सूचना रिपोर्ट मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 166 के अनुसार क्लेम ट्रिब्यूनल के रूप में स्वीकार करता है।
- इसमें अलग से क्लेम पिटीशन दायर करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि क्लेम पिटीशन दुर्घटना सूचना रिपोर्ट से पहले ही दायर कर दी गयी हो तो दुर्घटना सूचना रिपोर्ट उसके साथ संलग्न की जाती है।

कितना मुआवजा दिया जाता है?

मुआवजे की कोई निश्चित राशि तय नहीं की गई है। मुआवजा हर एक केस के तथ्यों पर निर्भर करता है। मुआवजे की राशि तय करने के लिए अदालतें बहुत सी बातों को ध्यान में रखते हैं।

- हानी, यानी कितना नुकसान हुआ।

क्षति या हानी शारीरिक या मानसिक हो सकती है। सभी श्रेणियों के नुकसान को ध्यान में रखते हुए अदालत मुआवजे की कुल राशि तय करती हैं।

शारीरिक या मानसिक क्षति पीड़ित व्यक्ति की वर्तमान एवं भविष्य में कमाने की क्षमता में कमी आदि कई बातों पर निर्भर करता है।

- दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को किस प्रकार की चोट पहुंची है।

अगर किसी व्यक्ति के पैर की छोटी उंगली कट जाती है तो उसे उस व्यक्ति की तुलना में कम पैसा मिलेगा जिसका पूरा हाथ ही कट गया हो। हाथ कट जाने से काम करने की और कमाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है जबकि पैर की उंगली कट जाने पर ऐसा नहीं होता है। इसमें कई कारक होते हैं, जैसे कि :–

- पीड़ित व्यक्ति की आयु ;
- पीड़ित व्यक्ति की आय ;
- पीड़ित या मरने वाले व्यक्ति के ऊपर कितने लोग निर्भर थे ;
- पीड़ित के इलाज के लिए चिकित्सा संबंधी खर्च ;
- सामान्य क्षतिपूर्ति ;
- पीड़ा एवं चोट लगने के कारण पीड़ित व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदारों को जो मानसिक पीड़ा एवं दुख होता है उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाता है जैसे कि – बच्चे की मृत्यु हो जाने पर एक माता की मानसिक पीड़ा एवं दुख।

- जीवन में आनंद की कमी जैसे कि चलने या दौड़ने में असमर्थ होना, शादी की संभावना कम होना आदि।

मुआवजा प्राप्ति का अधिकार

प्रत्येक दुर्घटना से जब किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचती है तो विधि के अनुसार उसे क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से क्षति–पूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है। इस प्रकार मोटर दुर्घटना संबंधी सभी मामलों में पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित परिवार मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत क्षति–पूर्ति प्राप्त करने का अधिकारी है।

मुआवजा पाने का अधिकारी कौन हैं?

जिसे भी किसी दूसरे के मोटर वाहन के प्रयोग से किसी भी प्रकार की हानि पहुंचे उसे मुआवजा मिलेगा। मृत्यु की दशा में मृतक के वारिसों को तथा चोट लगने पर घायल व्यक्ति मुआवजा पाने का अधिकारी है।

क्या चेहरा कुरूप हो जाने के कारण मुआवजा मिलेगा?

जी हाँ, चेहरे की कुरूपता के लिए चिकित्सा की आवश्यकता पड़ती है। कभी–कभी इसके कारण काम मिलना, शादी होना इत्यादि मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुआवजा मिलेगा।

क्या मृत्यु के लिए मुआवजा दिया जाएगा?

जी हाँ, मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर दिवंगत के कानूनी वारिसों को जो क्षति एवं हानि हुई है उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा।

कानूनी वारिस कौन हैं?

जो लोग मृत्यु होने पर मुआवजे का दावा कर सकते हैं वह कानूनी वारिस कहलाते हैं। आमतौर पर यह लोग मृतक पर आश्रित होते हैं यानी वह मरने वाले पर निर्भर थे।

- एक पुरुष के कानूनी वारिस उसके माता–पिता, उसकी विधवा एवं बच्चे होंगे।
- एक स्त्री के कानूनी वारिस उसका पति व बच्चे होंगे।
- वे लोग जो मृतक पर आश्रित नहीं है वह उसके कानूनी वारिस नहीं माने जाते जैसे की ;
  - वालिग पुत्र जो कमा रहा हो ;
  - विवाहित पुत्रियां ।

मुआवजा कौन देगा?

मुआवजा भुगतान का उत्तरदायित्व

दुर्घटना में हुई क्षति के लिए मुआवजे के भुगतान का प्राथमिक दायित्व दुर्घटना करने वाले वाहन के स्वामी अथवा चालक का होता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के अंतर्गत बीमा पॉलिसी प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि किसी वाहन स्वामी द्वारा पक्ष बीमा पॉलिसी प्राप्त किए बिना मोटर वाहन सर्वजनिक सड़क पर चलाया जाता है तो वह अधिनियम धारा 196 के अंतर्गत दंडनीय है। वाहन का बीमा होने की दशा में प्रतिकर के भुगतान का दायित्व बीमा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार वाहन स्वामी के बजाय संबंधित बीमा कंपनी का हो जाता है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण मालूम न हो?

कुछ ऐसे मोटर वाहन भी होते हैं जिनके चालक दुर्घटना के पश्चात वाहन को तुरंत भगा ले जाते हैं और यह पता नहीं चल पाता है कि दुर्घटना किस वाहन से हुई और परिणामस्वरुप वाहन स्वामी और बीमा पॉलिसी के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। ऐसी दुर्घटना के लिए भारत सरकार द्वारा पोषण निधि योजना 1989 बनाई है। इस योजना के अंतर्गत दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में मृतक के आश्रितों को रुपए ₹50,000/- और गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को ₹25,000/- प्रतिकर के रूप में दिलाए जाने की व्यवस्था है इस योजना के अंतर्गत संबंधित पीड़ित व्यक्ति अथवा मृतक के आश्रितों द्वारा दुर्घटना के 6 माह के भीतर निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र अधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने आवश्यक है।

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो?

यदि दुर्घटना करने वाले वाहन का विवरण ज्ञात हो या हो सके तो ऐसी स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत गठित संबंधित मोटर दुर्घटना क्लेम ट्रिब्यूनल के समक्ष मोटर वाहन स्वामी वाहन चालक और संबंधित बीमा कंपनी के विरुद्ध प्रति–कर वाद खुद प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसा वाद केवल रु 10 की कोर्ट की टिकट लगा कर प्रस्तुत किया जा सकता है।

मोटर दुर्घटना के लिए एक मुआवजे का दावा किस मोटर वाहन दुर्घटनाओं के लिए ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) के अधिकार क्षेत्र में किया जा सकता है?

मुआवजे का दावा दायर करने के लिए मोटर वाहन दुर्घटनाओं के ट्रिब्यूनल (न्यायाधिकरण) का अधिकार क्षेत्र इस प्रकार है:

- जिस क्षेत्र में दुर्घटना हुई है, (दुर्घटना का स्थान)।
- या क्लेम ट्रिब्यूनल के स्थानीय सीमा के भीतर जिसके अधिकार क्षेत्र में दावेदार निवास करता है (निकटतम ट्राइब्यूनल टू विक्टिम) या व्यवसाय करता है।
- या जिनके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमा के भीतर प्रतिवादी निवास करता है (निकटतम ट्राइब्यूनल जहां प्रतिवादी का निवास है)।

मुकदमें में प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेख एवं विवरण

मुकदमें को सफलतापूर्वक सिद्ध करने के लिए आवश्यक है कि निम्नलिखित अभिलेखों एवं विवरण को प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए

1) प्रार्थीगण का नाम, पिता का नाम, पूरा पता, उम्र और व्यवसाय।
2) दुर्घटना करने वाले वाहन स्वामी व चालक का नाम व पता।
3) दुर्घटना करने वाला वाहन जिस बीमा कंपनी से बीमाकृत हो, उसका नाम, काम, पता तथा बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि।
4) दुर्घटना करने वाले वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो प्रतिलिपि।
5) दुर्घटना करने वाले वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की फोटो प्रतिलिपि।

6) दुर्घटना की तारीख, समय व स्थान।

7) प्रत्येक प्रार्थीगण का मृतक से सम्बन्ध (यदि दुर्घटना में मृत्यु हुई हो)।

8) मृतक की आयु, आय तथा आश्रितों के नाम, पते एवं मृतक से सम्बन्ध।

9) दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की चोटों की प्रकृति एवं इंजूरी रिपोर्ट एवं मृत्यु की दशा में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फोटो प्रतिलिपि।

10) मांगी गयी प्रतिकर की धनराशि और उसके लिये उपयुक्त आधार।

संरचित फॉर्मूला के आधार पर मुआवजे के भुगतान के लिए विशेष प्रावधान।—

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163—क में यह विशेष प्रावधान किया गया है कि दावाकर्ता को अपनी याचिका में यह प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मोटर दुर्घटना करने वाले वाहन के चालक की कोई गलती थी अथवा नहीं और इस प्रावधान में यह मानकार प्रतिकर की राशि निश्चित की गई है कि दुर्घटना में दूसरे पक्ष की ही गलती थी। इस तालिका में प्रतिकर की राशि मृत व्यक्ति की आयु तथा आय को ध्यान में रखते हुए निश्चित की गई है और इसके लिए सुविधा की दृष्टि से एक तालिका में विभिन्न आयु के व्यक्तियों की मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर देय प्रतिकर की धनराशि दर्शायी गयी है जिसके अनुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है। प्रतिकर से संबंधित सामान्य प्रावधान उक्त अधिनियम की धारा 168 में किया गया है।

अपील करने के लिए समय सीमा –

मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्युनल (MACT) के निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने की 90 दिन की अवधि निर्धारित है और प्रमाणित व कारण दिखाने पर निर्धारित समय के बाद भी उच्च न्यायालय की अनुमति से अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

क्लेम ट्रिब्युनल द्वारा आदेषित मुआवजा कैसे प्राप्त करें –

क्लेम ट्रिब्युनल द्वारा आदेषित मुआवजा की धनराशि यदि संबंधित पक्षकार द्वारा निर्धारित अवधि में प्रदान नहीं की जाती है तो वादी द्वारा संबंधित ट्रिब्युनल में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाता है।

निशुल्क विधिक सेवायें –

मोटर दुर्घटना प्रतिकर मुकदमा दायर करने हेतु निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध है। प्रत्येक जिले के न्यायिक परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गयी है तथा निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव (न्यायिक अधिकारी) से सम्पर्क। अगर मोटर दुर्घटना प्रतिकर से संबधित कोई अपील उच्च न्यायालय में लंबित है तो हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिमला से सम्पर्क किया जा सकता है।

लोक अदालतों का उपयोगी फोरम –

नयायालय में लंबित मोटर दुर्घटना मामलों का निपटारा लोक अदालतों के माध्यम से किया जा सकता है। उच्च्व न्यायालय के समक्ष मोटर दुर्घटना प्रतिकर वादों से सम्बन्धित लम्बित अपीलों का भी निस्तारण लोक अदालतों के माध्यम से कराया जाता है। यह सर्वविदित है कि जो मामले लोक अदालतों के माध्यम से तय हो जाते हैं उनमें अपील, रिविजन या इजराय की कार्यवाहियों से बचत होती है और वादकारियों को शीघ्र और कम खर्च पर प्रतिकर की धनराशि मिल जाती है। यह व्यवस्था स्वयं वादकारियों के हित में है कि वे लोक अदालतों के आयोजन से लाभ उठायें । यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर से संबंधित अपना वाद अपील लोक अदालत के माध्यम से तय कराना चाहता है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव को अवगत कर सकते हैं ताकि उस मामले को आगामी आयोजित की जाने वाली लोक अदालत में समझौता वार्ता के लिए रखा जा सके।

विशेष मोटर वाहन दुर्घटना कक्ष

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नें प्रदेश के हर एक जिले में मध्यस्थता द्वारा मुकदमों का निपटारा करने के लिए विशेष मोटर वाहन दुर्घटना कक्ष स्थापित किए हैं। इन मोटर वाहन दुर्घटना कक्षों में प्रशिक्षित मध्यस्थ की नियुक्ति की गई है और मुकदमा पूर्व मध्यस्थता करके इन मुकदमों का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है।

यदि कोई व्यक्ति प्रतिकर से संबंधित अपना वाद को मुकदमा पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से तय कराना चाहता है तो इस आशय की सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव या हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के सदस्य सचिव से अनुरोध कर सकता है कि उसके मामले को विशेष मोटर वाहन दुर्घटना कक्ष में मध्यस्थता के लिए रखा जा सके।

अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क करें

बिलासपुर

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश–174001
Tel: **01978-221452** e-mail: **secy-dlsa-bil-hp@gov.in**

चंबा

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
चम्बा, हिमाचल प्रदेश–176310
Tel: **01899-226309,** e-mail: **secy-dlsa-cha-hp@gov.in**

हमीरपुर

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश–177001
Tel- **01972-224399,** e-mail: **secy-dlsa-ham-hp@gov.in**

कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कांगड़ा स्तिथ धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश–176215
Tel- **01892-222370**, e-mail: **secy-dlsa-kan-hp@gov.in**

किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
किन्नौर स्तिथ रिकांग पिओ, हिमाचल प्रदेश–172001
Tel- **01786-223605,** e-mail: **secy-dlsa-kin-hp@gov.in**

कुल्लू

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
कुल्लू और लाहौल जिला, हिमाचल प्रदेश–175101
Tel- **01902-222378,** e-mail: **secy-dlsa-kul-hp@gov.in**

मंडी

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मंडी, हिमाचल प्रदेश–175001
Tel- **01905-223428,** e-mail: **secy-dlsa-man-hp@gov.in**

शिमला

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–171005
Tel- **0177-2832808,** e-mail: **secy-dlsa-shi-hp@gov.in**

सिरमौर स्तिथ नाहन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सिरमौर स्तिथ नाहन, हिमाचल प्रदेश–173001
Tel- **01702-224749,** e-mail: **secy-dlsa-sir-hp@gov.in**

सोलन

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
सोलन, हिमाचल प्रदेश–173212
Tel- **01792-220713,** e-mail: **secy-dlsa-sol-hp@gov.in**

ऊना

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
ऊना, हिमाचल प्रदेश–174303
Tel- **01975-225071,** e-mail: **secy-dlsa-una-hp@gov.in**

हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

ब्लॉक नंबर 22, एस.डी.ए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी,
शिमला, हिमाचल प्रदेश 171009

e-mail: mslegal-hp@nic.in

दूरभाष: 0177–2623862

फैक्स: 0177–2626962

टोल फ्री: 15100

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL